भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2079

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

विश्वविद्यालयों को अपर्याप्त वित्तपोषण

†2079. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि विश्वविद्यालय राजनीतिक नियंत्रण का साधन बनने के बजाय शैक्षणिक उत्कृष्टता और स्वायत्तता के अपने उद्देश्यों को बनाए रखें;

(ख) विश्वविद्यालयों को अपर्याप्त धनराशि जारी करने के क्या कारण हैं, जिससे छात्रवृत्ति में कटौती हो रही है तथा छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं;

(ग) गत दस वर्षों के दौरान आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने तथा स्वास्थ्य स्थितियों का खुलासा करने की आवश्यकता संबंधी घोषणाएं थोपने, बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन का क्या औचित्य है; और

(ड.) विदेशी संकाय के साथ दुर्व्यवहार और महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थानों में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के इस्तीफे के कारण उत्पन्न राजनयिक नतीजों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ड.): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण इसकी गुणवत्ता बढ़ाना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा अनुकूलित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में उच्चतर शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने, बढ़ावा देने और बनाए रखने का अधिदेश है। यह स्वीकार करते हुए कि उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और संस्थागत बनाने के लिए स्वायत्तता महत्वपूर्ण है और नियामक ढांचे को उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता की दिशा में बेहतर

प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, यूजीसी ने निम्नलिखित विनियमन अधिसूचित किए हैं:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का वर्गीकरण विनियम, 2018विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय) विनियम, 2023

मंत्रालय ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है जिससे निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। पीएम-उषा के तहत चिन्हित जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। चिन्हित जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, जेंडर समानता, जनसंख्या अनुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवण जिले आदि शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम आदि) के सुधार और रखरखाव के लिए 3,28,881.56 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

*****